

फा∘11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन。।)∨o! —[[

केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

<u>नई दिल्ली 110 016</u>

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570 website:www.kvsangathan.nic.in

दिनांक : 1.3.07.2017

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 30.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय बीजापुर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष मे दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है-:

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा	
1	बीजापुर, जिला बीजापुर	C/o डीएवी पब्लिक स्कूल (प्रथम तल) मझिगुड़ा, बीजापुर जिला	
		बीजापुर, (छतीसगढ़)।	

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

美知的乙

(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

- 1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
- 2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- .3 अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- 4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
- .5 अपर आयुक्त (प्रशा/.शै.) केविसं के निजी सचिव।
- 6. संयुक्त आयुक्त(शै.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
- 7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. रायपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
- प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) छत्तीसगढ़, रायप्र ।
- जिला कलेक्टर, बीजापुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।
- 10.अधिक्षण अभियंता केविसं को उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/374/2017-KVS(HQ)/Works दिनांक 07.07.2017 के संबंध में।
- 11 सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार , दिल्ली-92
- 12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- 13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
- 14 निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
- 15. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 16. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- 17. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website:www.kvsangathan.nic.in

Date: (3.07.2017

F. 11029-11/2015-KVS (Admn.-I)/Vol-II

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 30.03.2017, conveyed approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya Bijapur, District Bijapur, Chhattisgarh is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect, at the following location:-

S.No.	Name Vidyalaya	of	Kendriya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Bijapur, District Bijapur		Bijapur	C/o DAV Public School (First Floor), Majhiguda, District Bijapur, Chhattisgarh

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2017-18 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

Dr. E. Prabhakar)

Joint Commissioner (Pers.)

Distribution:-

- 1. PS to HRM-cum-Chairman, KVS.
- 2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
- Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
- PS to Commissioner, KVS. 4.
- PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS. 5,:
- Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order.
- The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Raipur with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school falls, for record of this office.
- The Principal Secretary (Education), Govt. of Chhattisgarh, Raipur. 8.
- The District Collector, District Bijapur, Chhattisgarh for information.
- 10. The Superintending Engineer, KVS w.r.t note F.110111/374/2017-KVS(HQ)/Works dated 07.07.2017.
- 11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
- 12. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
- 13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
- 14. Director, all ZIETs, KVS.
- 15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
- 16. President/ General Secretary, recognized KVS Staff Associations.
- 17. Guard File.